आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि. 30-25/2020 - 237

प्रेषक,

योगेन्द्र राम
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 30.1.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में ऑनलाईन/ ऑफलाईन प्राप्त दावा/आपत्ति निष्पादन हेतु `एप्लिकेशन` संचालन के लिए मैन्यूअल।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020 एवं पत्रांक 133 दिनांक 18.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19.01.2021 से प्रारूप मतदाता पर दावा/ आपत्ति प्राप्त हो रहे हैं, जो दिनांक 01.02.2021 तक प्राप्त होंगे। प्राप्त ऑनलाईन/ ऑफलाईन प्राप्त दावा/ आपत्ति के निष्पादन हेतु आयोग के वेवसाईट sec.bihar.gov.in पर `एप्लिकेशन` दिये गये हैं जिसे संचालन हेतु दो `मैन्यूअल` संलग्न किये जा रहे हैं। `एप्लिकेशन` का उपयोग प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर पर किया जायेगा।

अनुरोध है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुये त्वरित निष्पादन करने का निदेश देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 - 237 पटना, दिनांक - 30.1.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से नियमित समीक्षा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 - 237 पटना, दिनांक - 30.1.21

प्रतिलिपि, निदेशक,सॉफ्टवेयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च प्रा. लि. को आयोग के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव। 30/01/2021

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

दावा / आपत्ति

यूजर मैन्युअल (ऑनलाइन आवेदन)

- ऑनलाइन आवेदन पब्लिक द्वारा हमारे पोर्टल के माध्यम से शुरु हो गया है, जो प्रखण्ड स्तर पर स्वयं ही प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

Step 1: http://sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

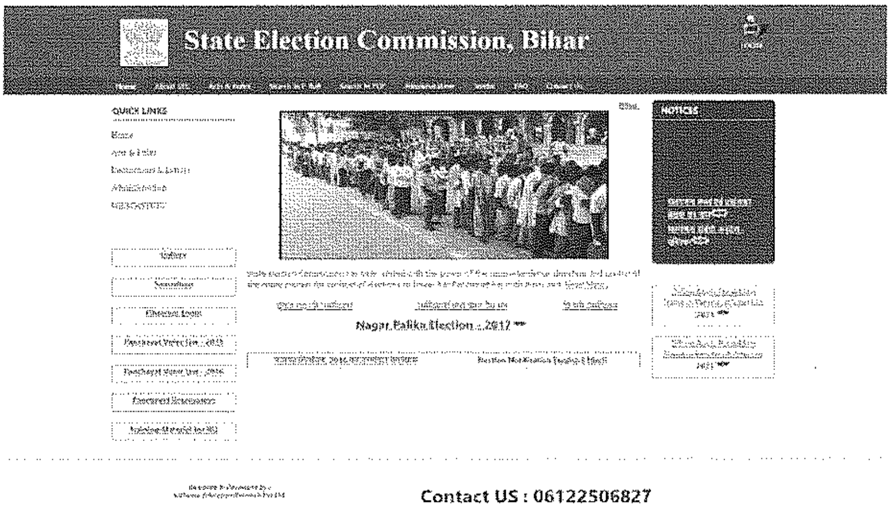

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे प्रखण्ड स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

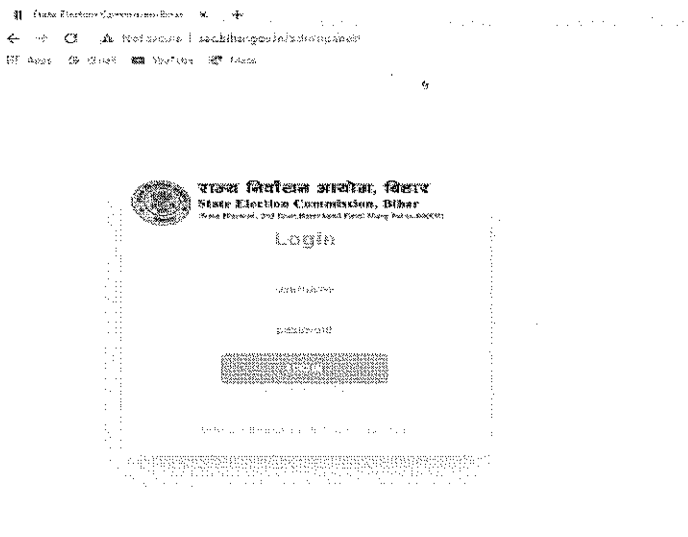

Step 3: Login होने के बाद Application का होम पेज सामने खुल जाएगा। होम पेज में बायीं तरफ Claim & Objection का मेनू है, उस मेनू पर क्लिक करना हैं जिससे दावा आपत्ति के लिए जितना भी आवेदन आया है उसकी सूची का पेज सामने खुल जाएगा।

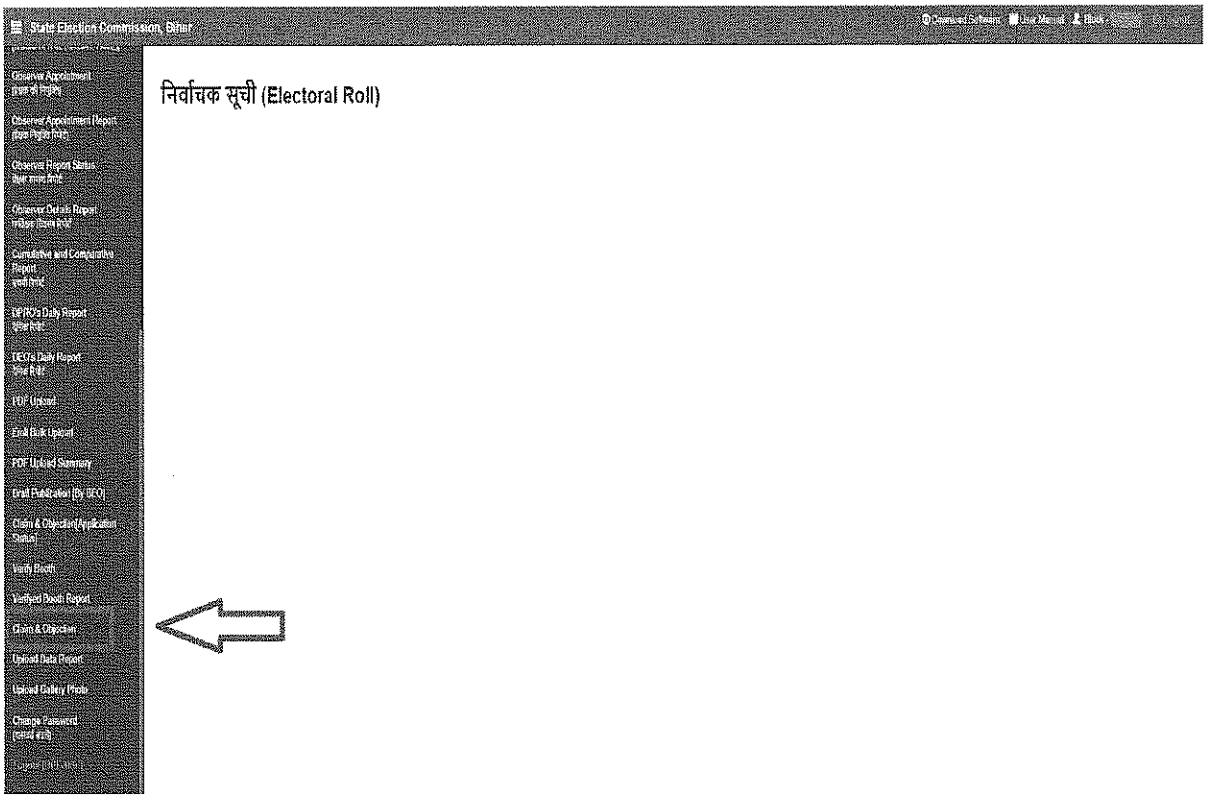

Step 4: **Details** पर क्लिक करके आवेदक का विवरण देखना हैं और उसके नाम पर क्लिक करके आवेदन को डाउनलोड करना है। साथ ही आवेदक द्वारा दावा के समर्थन में अपलोड किया गया Document भी डाउनलोड करना है जिसके आधार पर दावा / आपत्ति का नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा।

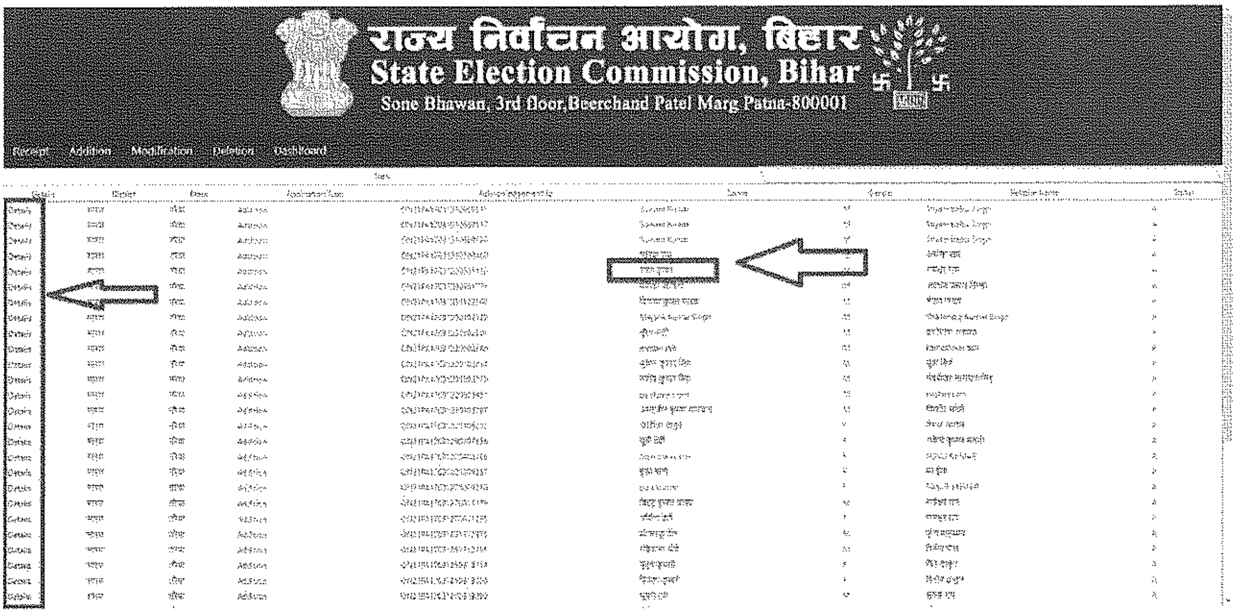

Step 5:

(1) यदि निष्पादन के क्रम में दावा मान्य होने पर आवेदन सही पाया जाए तब Recommend को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा और Update Button पर क्लिक करना होगा। इससे यह आवेदन प्रखण्ड स्तर पर स्वीकृत माना जाएगा और जिला स्तर पर स्वयं ही प्रदर्शित हो जाएगा।

(या)

(2) यदि निष्पादन के क्रम में आवेदन अमान्य पाया जाए तब Reject को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा कि यह आवेदन क्यों Reject किया गया और Update Button पर क्लिक करना होगा।

नोट : - इस प्रक्रिया के बाद जिला द्वारा Accept कर लेने के बाद आवेदक का नाम मतदाता सूची में Add किया जा सकेगा।

“**Modification**” या “**Deletion**”

यदि ऑनलाइन आवेदन “Modification” या “Deletion” के लिए किया जाता है तो प्रखण्ड स्तर पर स्वयं ही प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया निम्नलिखित हैः

Step 1: http://sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे प्रखण्ड स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

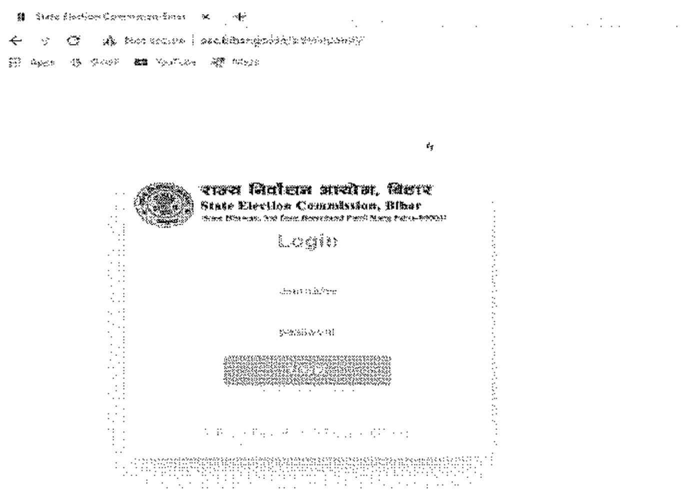

Step 3: Login होने के बाद Application का होम पेज सामने खुल जाएगा। होम पेज में बायीं तरफ Claim & Objection का मेनू है, उस मेनू पर क्लिक करना हैं जिससे दावा आपत्ति के लिए जितना भी आवेदन आया है उसकी सूची का पेज सामने खुल जाएगा।

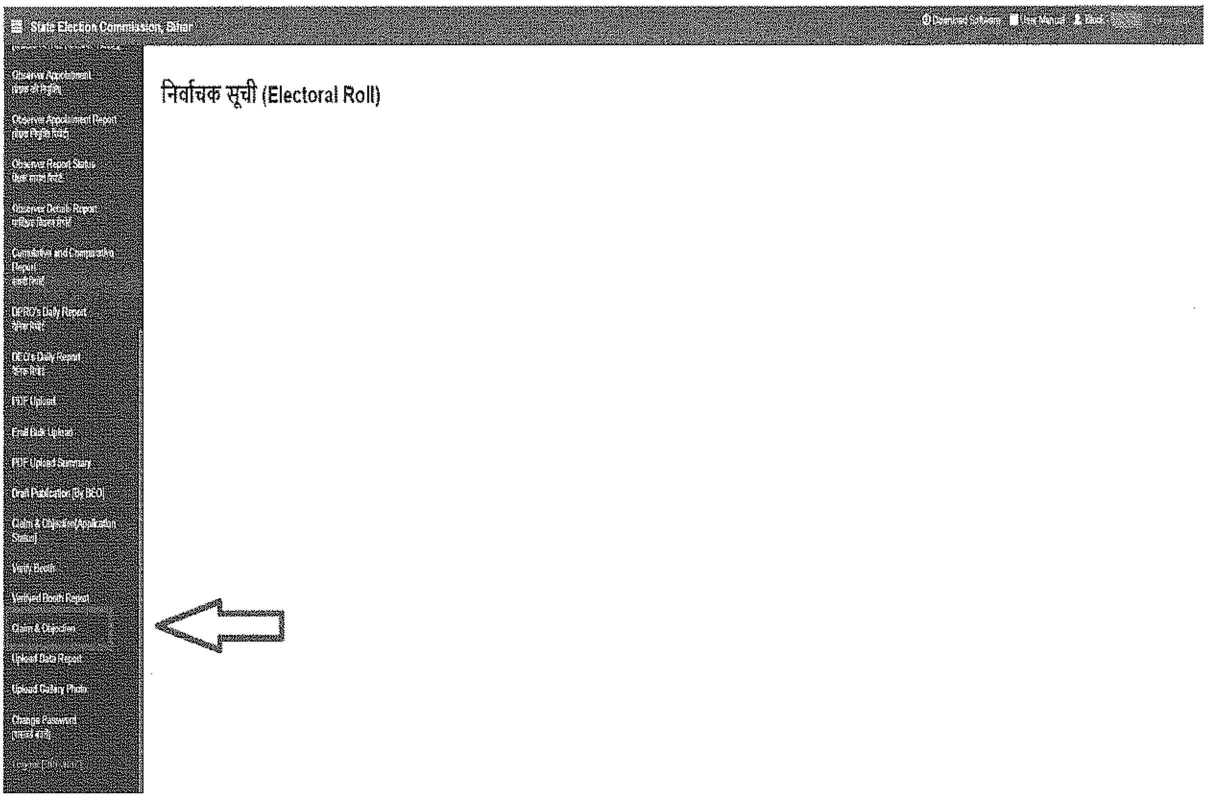

Step 4: **Details** पर क्लिक करके आवेदक का विवरण देखना हैं, "M" Modification के लिए और "D" Deletion के लिए प्रदर्शित होगा। उस आवेदन के नाम पर क्लिक करके

आवेदन को डाउनलोड करना है। साथ ही आवेदक द्वारा दावा के समर्थन में अपलोड किया गया Document भी डाउनलोड करना है जिसके आधार पर दावा / आपत्ति का नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा।

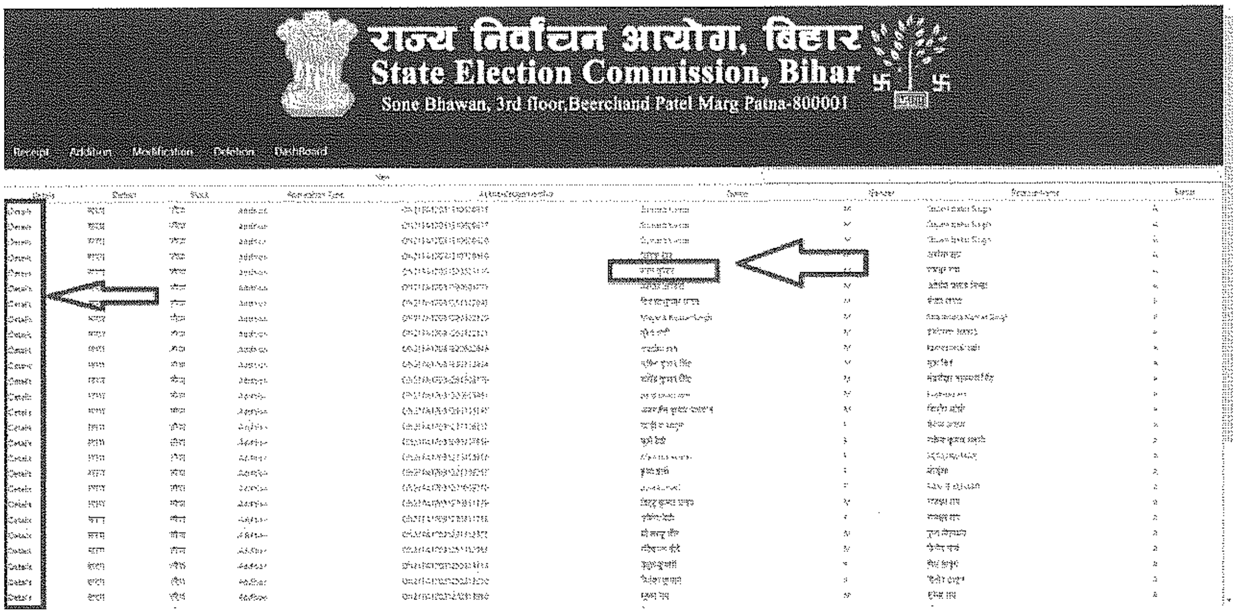

Step 5:

(1) यदि निष्पादन के क्रम में दावा मान्य होने पर आवेदन सही पाया जाए तब Recommend को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा और Update Button पर क्लिक करना होगा। इससे यह आवेदन प्रखण्ड स्तर पर स्वीकृत माना जाएगा और जिला स्तर पर स्वयं ही प्रदर्शित होगा।

(या)

(2) यदि निष्पादन के क्रम में आवेदन अमान्य पाया जाए तब Reject को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा कि यह आवेदन क्यों Reject किया गया और Update Button पर क्लिक करना होगा।

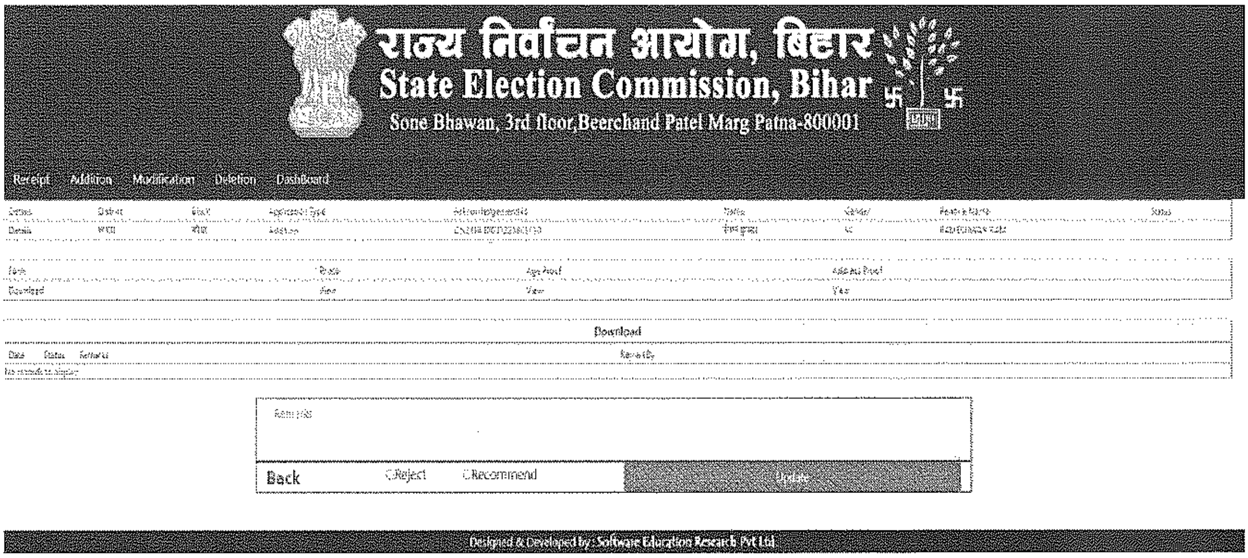

नोट : - इस प्रक्रिया के बाद जिला द्वारा Accept कर लेने के बाद आवेदक का नाम मतदाता सूची में "Modify" या "Delete" किया जा सकेगा।

<u>दावा</u> / <u>आपत्ति</u>

यूजर मैन्युअल (ऑफलाइन आवेदन)

❖ आवेदन पब्लिक द्वारा ऑफलाइन जमा किया जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

Step 1: http://sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

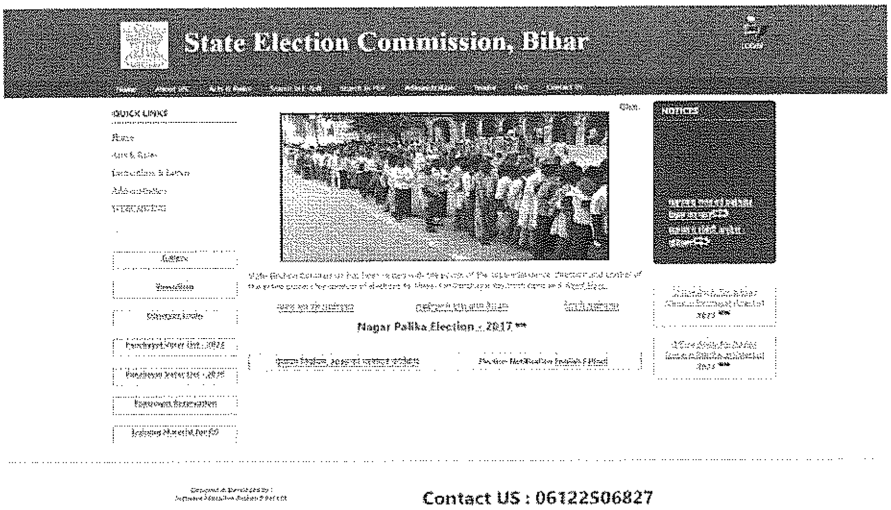

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे प्रखण्ड स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

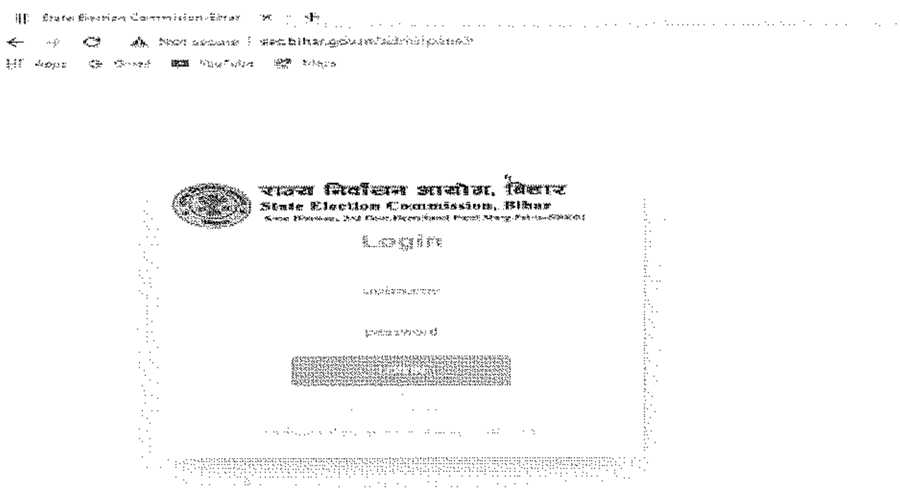

Step 3: Login होने के बाद Application का होम पेज सामने खुल जाएगा। होम पेज में बायीं तरफ Claim & Objection का मेनू है, उस मेनू पर क्लिक करना हैं जिससे दावा आपत्ति के लिए जितना भी आवेदन ऑनलाइन आया है उसकी सूची का पेज सामने खुल जाएगा।

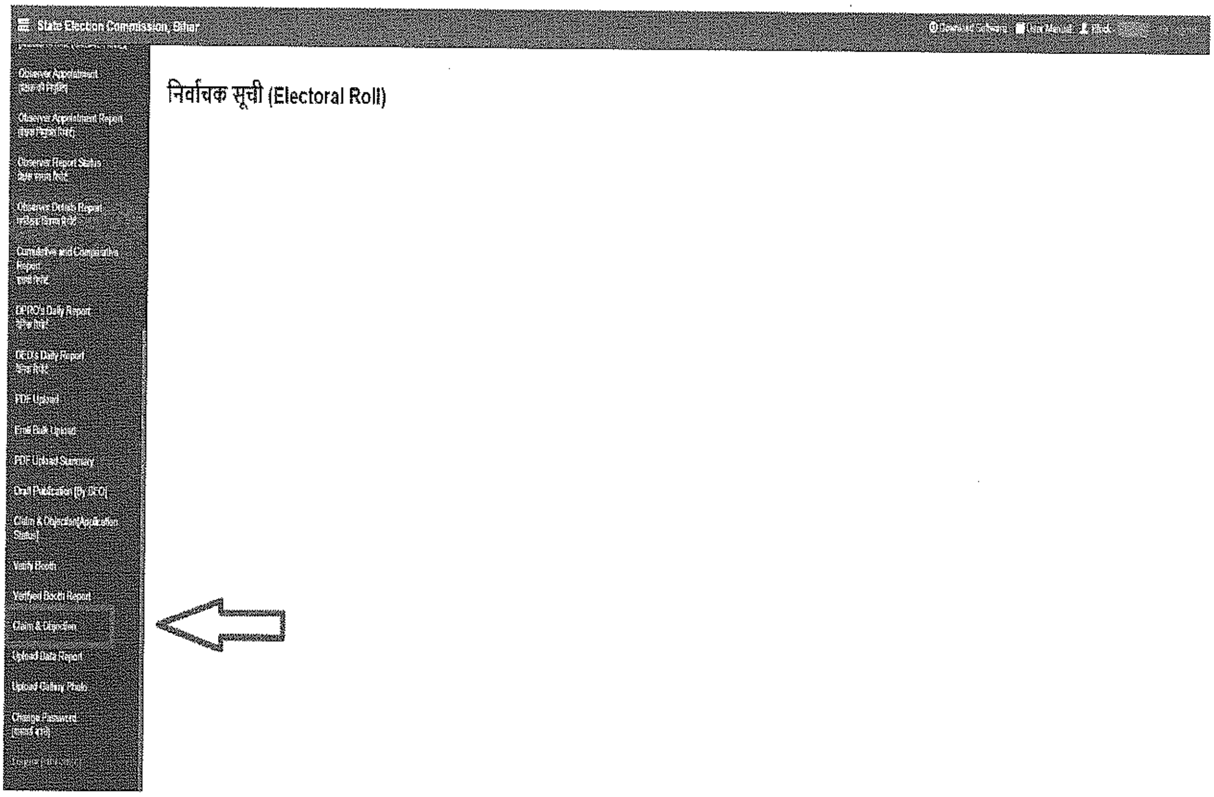

Step 4: उस सूची में Addition मेनू हैं, उस पर क्लिक करना है।

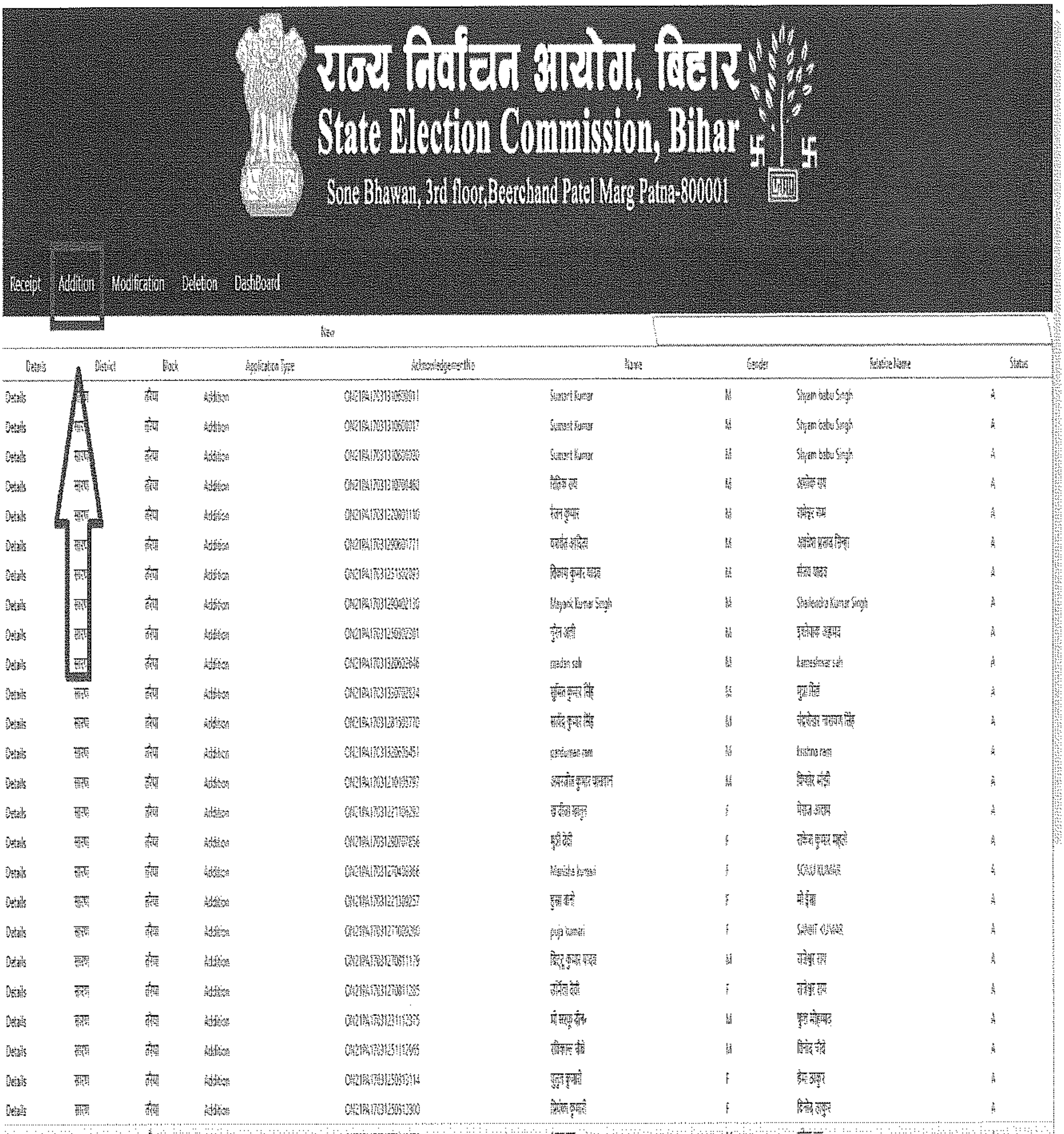

Step 5: आवेदक द्वारा जमा किया गया विवरण को प्रखण्ड स्तर पर Online फॉर्म भर कर, आवेदक का फोटो और समर्थन में दिया गया Document को Select करके Submit Button पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया द्वारा Offline आवेदन Online में Digitize हो जाएगा।

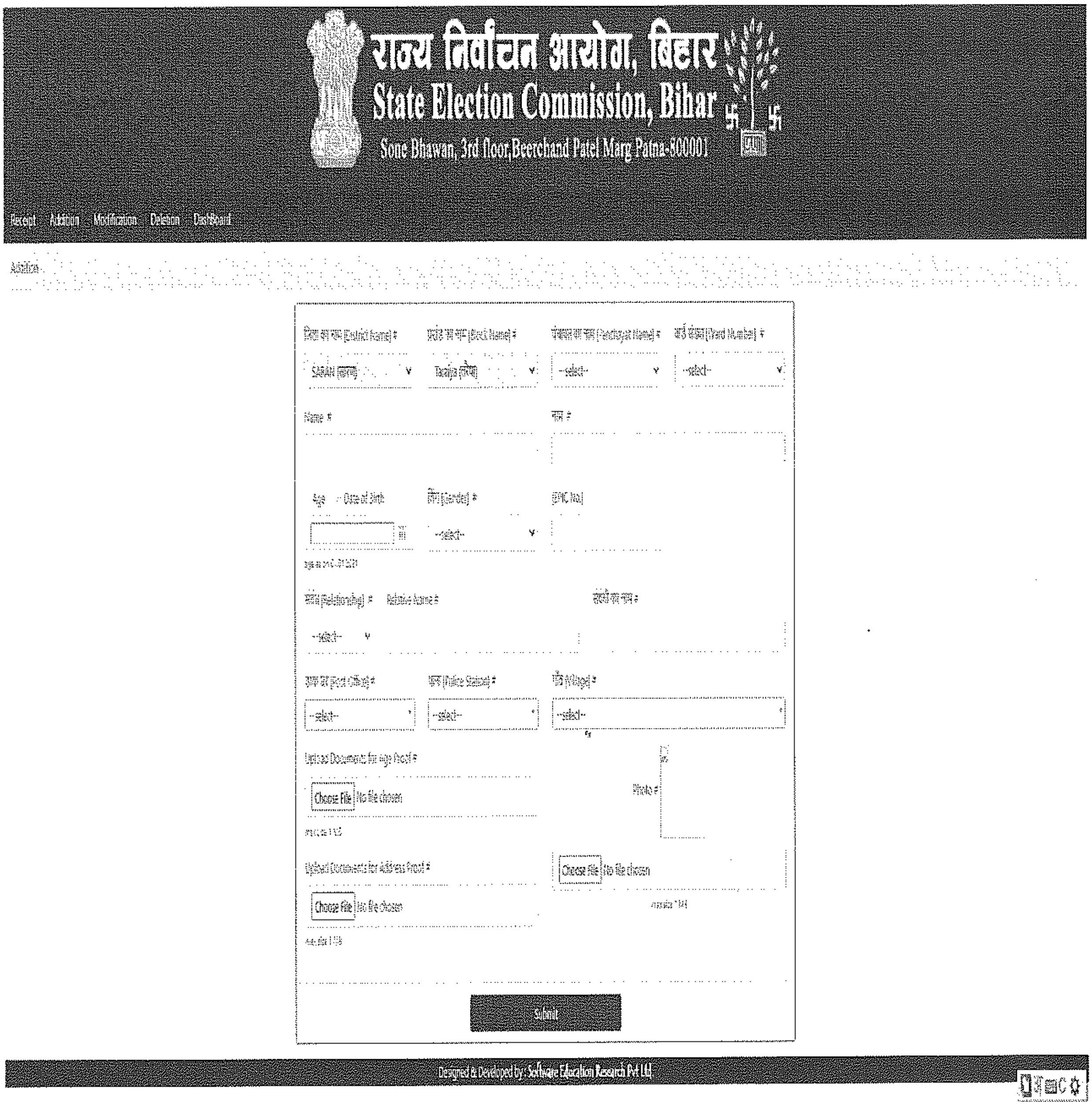

Step 6: आवेदक के नाम पर क्लिक करना हैं।

Step 7:

(1) यदि निष्पादन के क्रम में दावा मान्य होने पर आवेदन सही पाया जाए तब Recommend को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा और Update Button पर क्लिक करना होगा। इससे यह आवेदन प्रखण्ड स्तर पर स्वीकृत माना जाएगा और जिला स्तर पर स्वयं ही प्रदर्शित हो जाएगा।

(या)

(2) यदि निष्पादन के क्रम में आवेदन अमान्य पाया जाए तब Reject को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा कि यह आवेदन क्यों Reject किया गया और Update Button पर क्लिक करना होगा।

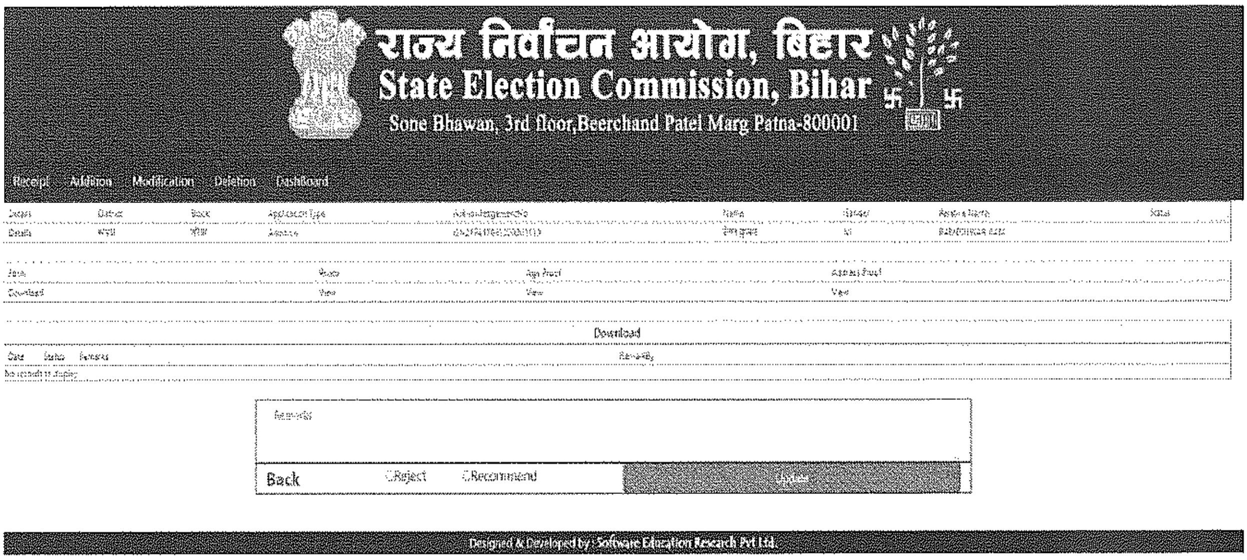

नोट : - इस प्रक्रिया के बाद जिला द्वारा Accept कर लेने के बाद आवेदक का नाम मतदाता सूची में Add किया जा सकेगा।

“**Modification**” या “**Deletion**”

- आवेदन “**Modification**” या “**Deletion**” के लिए पब्लिक द्वारा जमा किया जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

Step 1: http://sec.bihar.gov.in वेबसाइट Open करें।

Step 2: Login पर क्लिक करें, उसके बाद Admin Panel आएगा, जिसमे प्रखण्ड स्तर का यूजर नाम और पासवर्ड डाल कर Login करें।

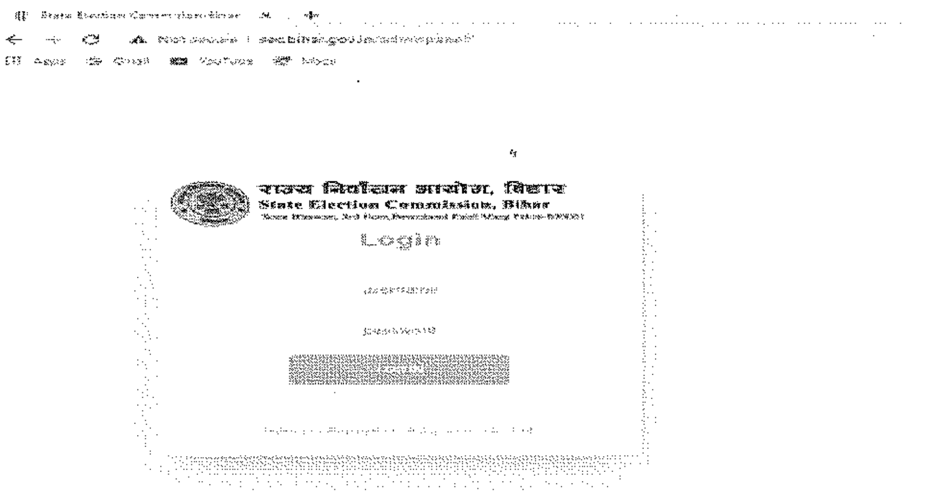

Step 3: Login होने के बाद Application का होम पेज सामने खुल जाएगा। होम पेज में बायीं तरफ Claim & Objection का मेनू है, उस मेनू पर क्लिक करना हैं जिससे दावा आपत्ति के लिए जितना भी आवेदन ऑनलाइन आया है उसकी सूची का पेज सामने खुल जाएगा।

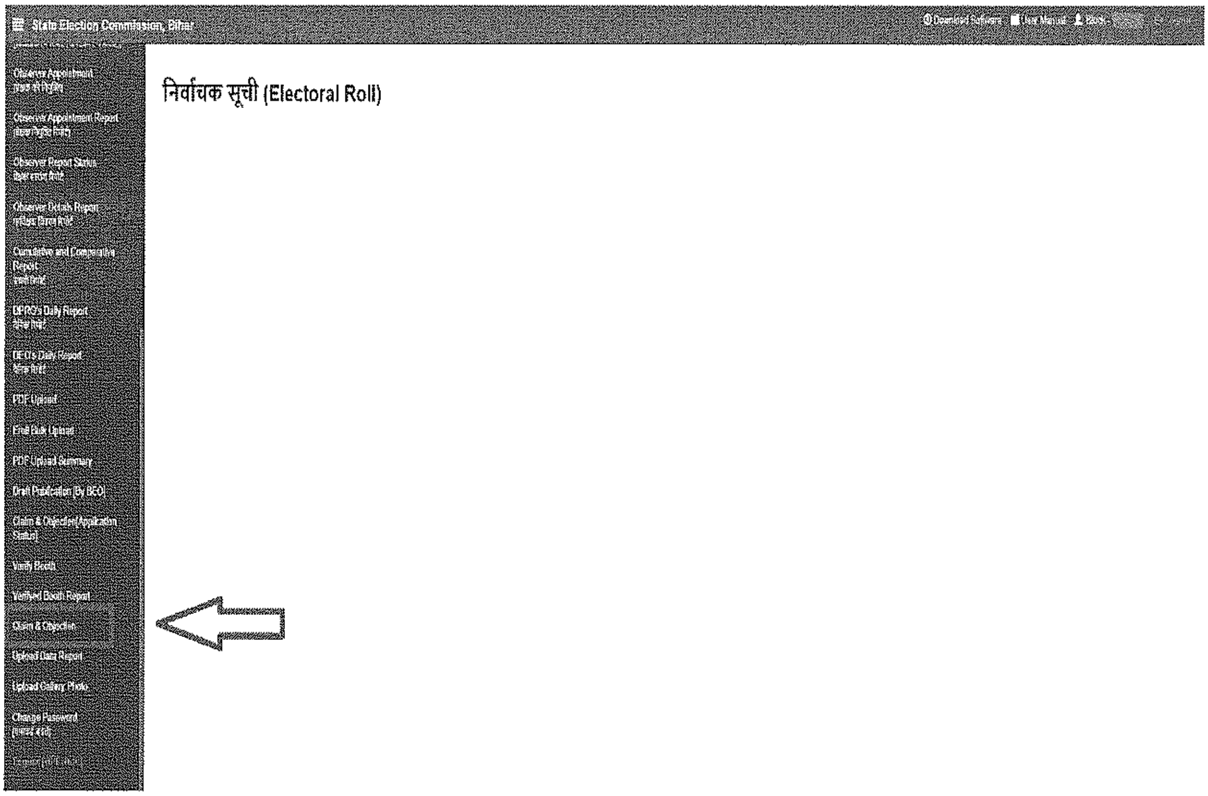

Step 4: उस सूची में Modify के लिए "Modification" मेनू और Delete के लिए "Deletion" मेनू पर क्लिक करना है।

Step 5: आवेदक द्वारा जमा किया गया विवरण को प्रखण्ड स्तर पर "Modification" या "Deletion" के लिए मेनू पर जाना होगा।

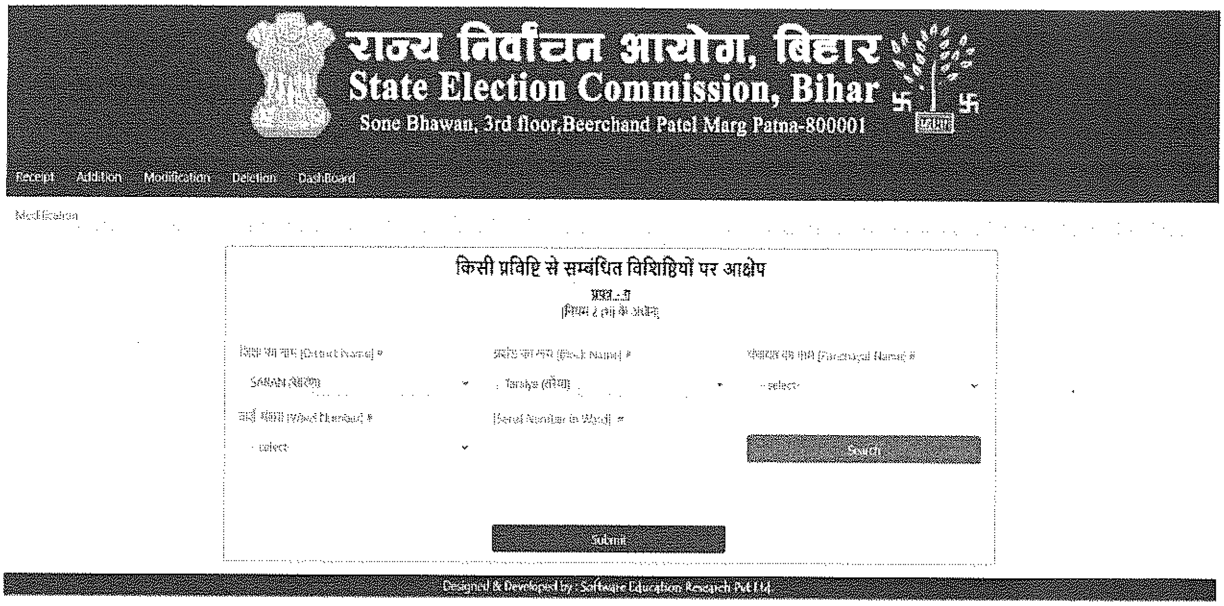

Step 6: प्रखण्ड स्तर पर “Modification” या “Deletion” के लिए मेनू पर जाने के बाद उस आवेदक का विवरण **Search** करना होगा।

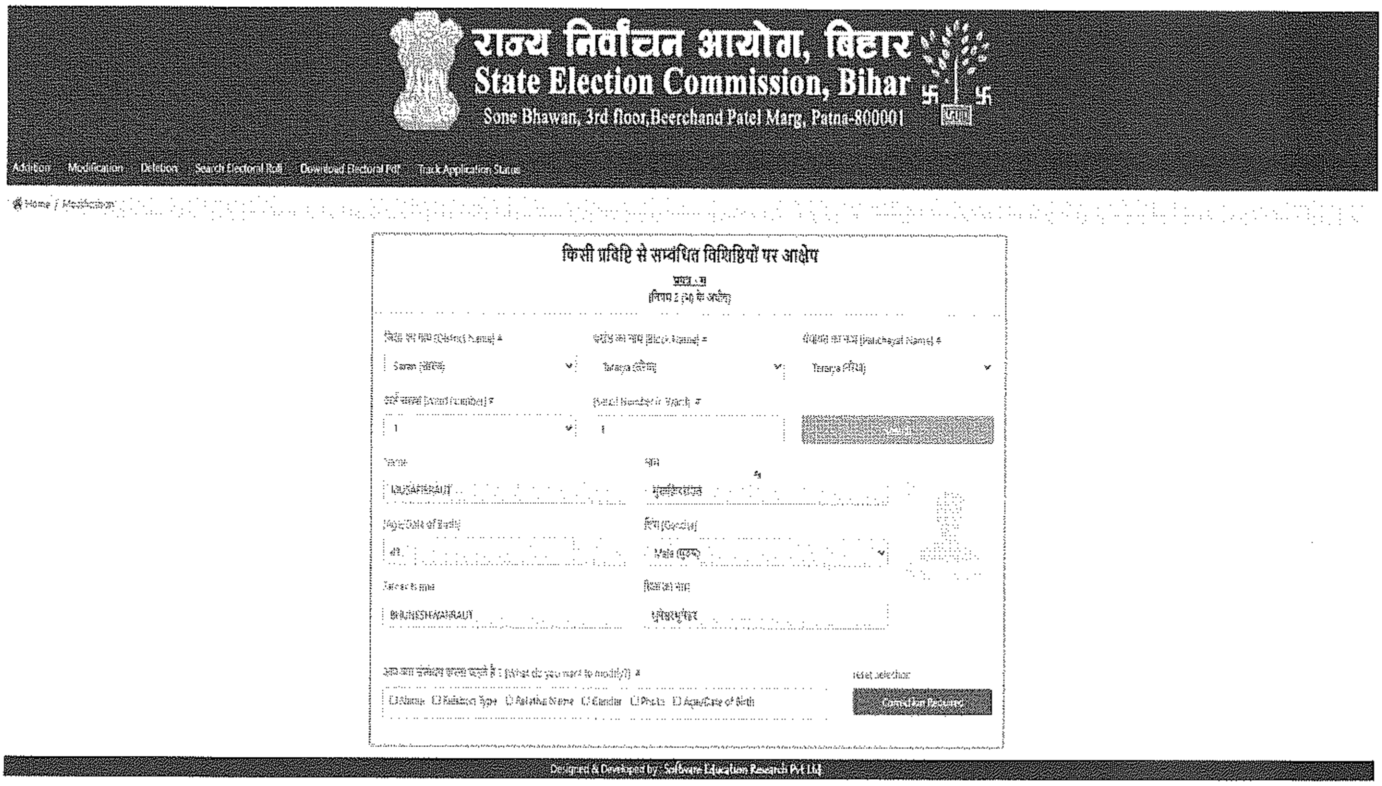

Step 7: प्रखण्ड स्तर पर "Modification" के लिए नीचे दिए गए Check Box को Tick करना होगा, न्यूनतम 1 और अधिकतम 3 check Box को Tick कर सकते है। उस Check Box को Tick करे जिसे Modify करना है। उसके बाद "Correction Required" Button पर क्लिक करना होगा। आवेदक का विवरण Modify के लिए नीचे उपलब्ध हो जा

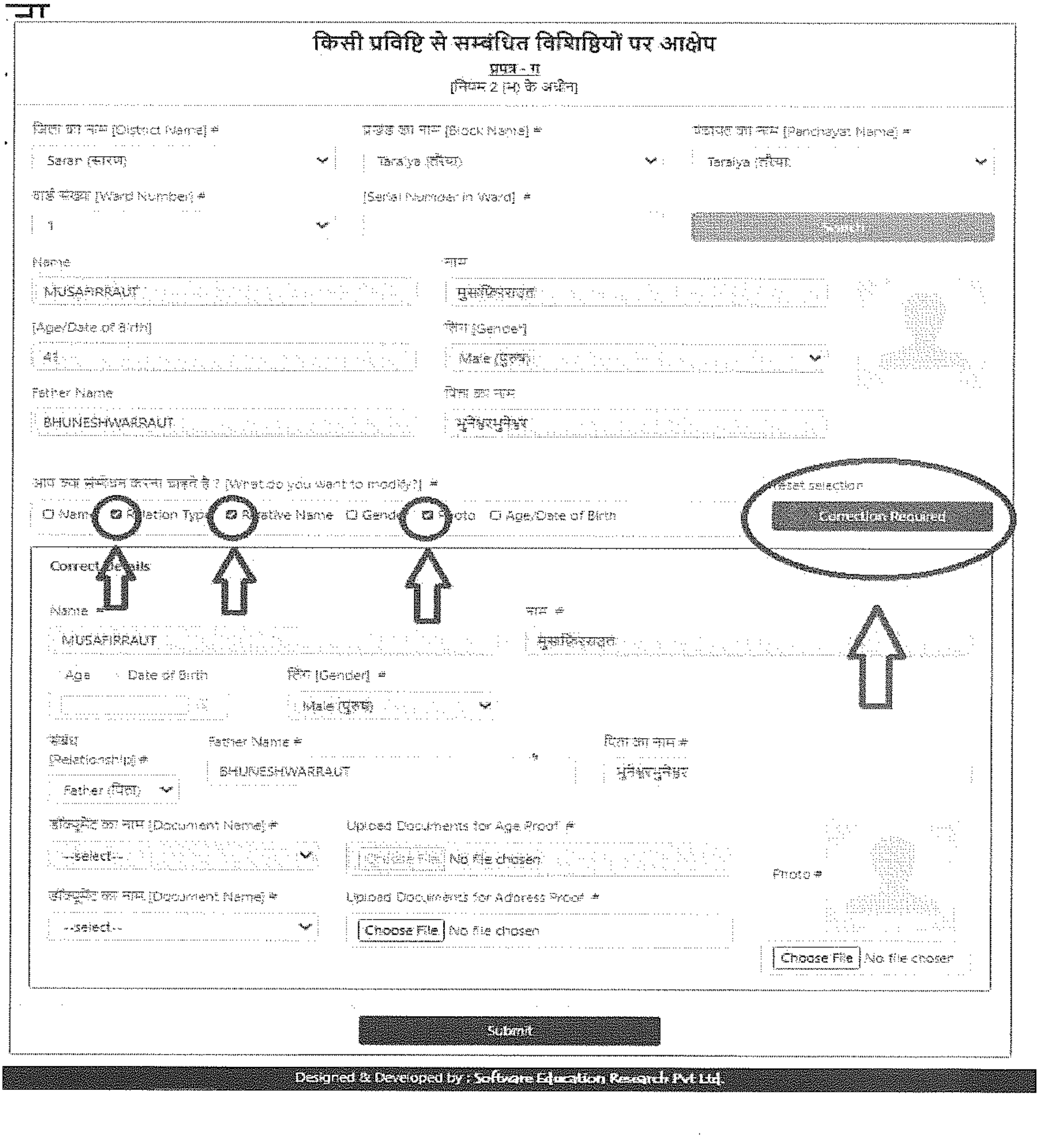

Step 8: प्रखण्ड स्तर पर “Modification” के लिए नीचे दिए गए विवरण को सुधारना होगा, यदि आवेदक का फोटो बदलना है तो सही फोटो को Choose करना होगा साथ ही समर्थन में दिया गया Document को Select करके Submit Button पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया द्वारा Offline आवेदन Online में Digitize हो जाएगा।

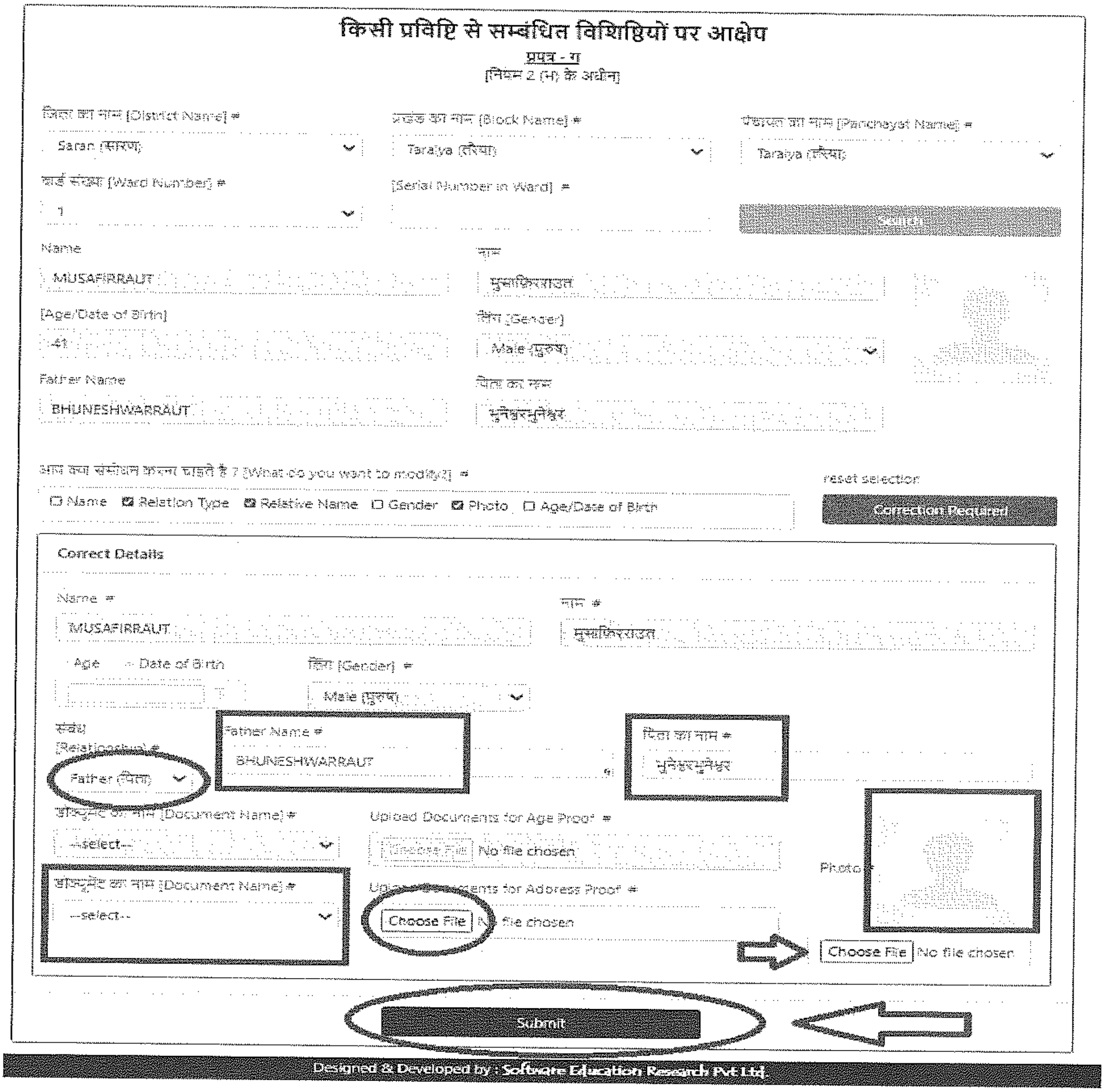

किसी प्रविष्टि से सम्बंधित विशिष्टियों पर आक्षेप

प्रपत्र - ग

[नियम 2 (म) के अधीन]

जिला का नाम [District Name] *: Saran (सारण)

प्रखंड का नाम [Block Name] *: Taraiya (तरैया)

पंचायत का नाम [Panchayat Name] *: Taraiya (तरैया)

वार्ड संख्या [Ward Number] *: 1

[Serial Number in Ward] *

Search

Name: MUSAFIRRAUT

नाम: मुसाफिरराउत

[Age/Date of Birth]: 41

लिंग [Gender]: Male (पुरुष)

Father Name: BHUNESHWARRAUT

पिता का नाम: भुनेश्वरभुनेश्वर

आप क्या संशोधन करना चाहते है ? [What do you want to modify?] *

☐ Name ☑ Relation Type ☑ Relative Name ☐ Gender ☑ Photo ☐ Age/Date of Birth

reset selection

Correction Required

Correct Details

Name *: MUSAFIRRAUT

नाम *: मुसाफिरराउत

Age / Date of Birth

लिंग [Gender] *: Male (पुरुष)

संबंध [Relationship] *: Father (पिता)

Father Name *: BHUNESHWARRAUT

पिता का नाम *: भुनेश्वरभुनेश्वर

डॉक्यूमेंट का नाम [Document Name] *: --select--

Upload Documents for Age Proof *: Choose File No file chosen

डॉक्यूमेंट का नाम [Document Name] *: --select--

Upload Documents for Address Proof *: Choose File No file chosen

Photo: Choose File No file chosen

Submit

Designed & Developed by : Software Education Research Pvt Ltd.

Step 9: आवेदक के नाम पर क्लिक करना हैं।

Step 10:

(1) यदि निष्पादन के क्रम में दावा मान्य होने पर आवेदन सही पाया जाए तब Recommend को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा और Update Button पर क्लिक करना होगा। इससे यह आवेदन प्रखण्ड स्तर पर स्वीकृत माना जाएगा और जिला स्तर पर स्वयं ही प्रदर्शित हो जाएगा।

(या)

(2) यदि निष्पादन के क्रम में आवेदन अमान्य पाया जाए तब Reject को Select कर के Remarks / Reason डालना होगा कि यह आवेदन क्यों Reject किया गया और Update Button पर क्लिक करना होगा।

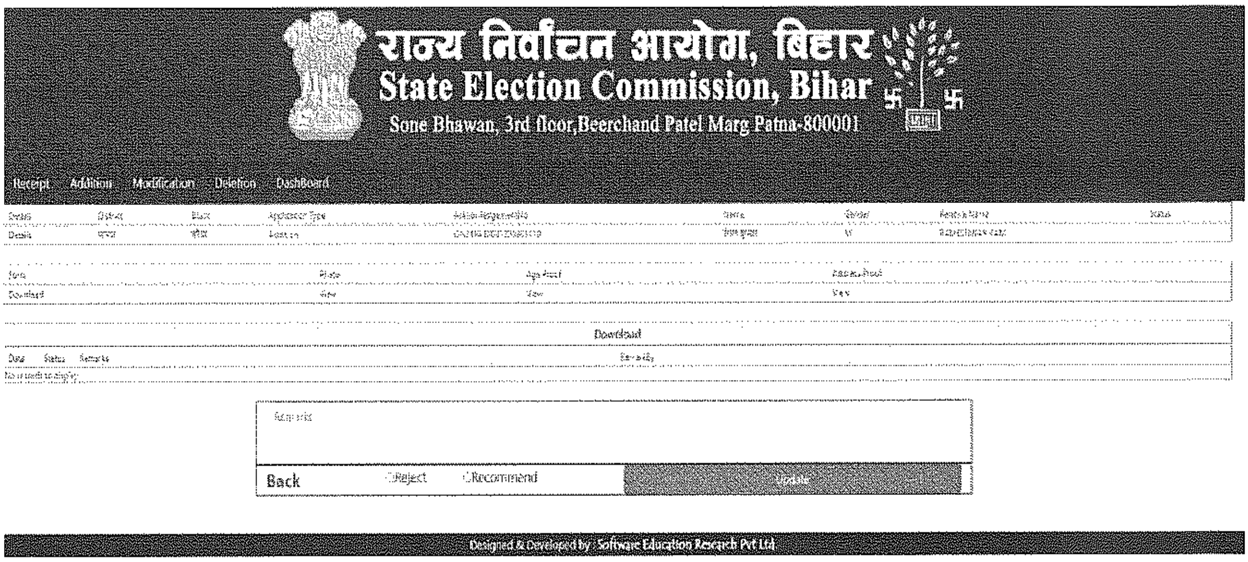

नोट : - इस प्रक्रिया के बाद जिला द्वारा Accept कर लेने के बाद आवेदक का नाम मतदाता सूची में "Modify" या "Delete" किया जा सकेगा।